

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/मा/हिनि/2017-18

दिनांक : 8-11-2017

समस्त उप-निदेशक(माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)
समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समस्त विशिष्ट संस्थाएं
शिविरा पत्रिका

विषय : हितकारी निधि नियम 13(क) निधन पर सहायता राशि बाबत।


उपयुक्त विषय में लेख है कि हितकारी निधि नियम 13(क) के सम्बन्ध में राज्य सरकार की संशोधित स्वीकृति क्रमांक प21(7)शिक्षा-2/हितकारी निधि/2017 दिनांक 13.10.2017 के अनुसार हितकारी निधि द्वारा सेवा में रहते कार्मिक के निधन पर दैय सहायता राशि के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं:-

निधन पर सहायता :-

1. आश्रित द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संस्था प्रधान को प्रस्तुत करेंगे तथा संस्था प्रधान जिला शिक्षा अधिकारी को अग्रेषित करेंगे।
2. आवेदन पत्र के साथ सेवा समाप्ति आदेश एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की एक मूल प्रति संलग्न करें।
3. अंशदान कटौती का विवरण जो कार्मिक द्वारा जमा करवाया गया।
4. कार्मिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति।
5. सहायता राशि नियमित अंशदाता के आश्रित को दैय होगी।
6. सेवारत कार्मिक नियमित अंशदाता होने के लिये नियुक्ति तिथि 2016-17 तक का अंशदान एकमुश्त जमा करवाकर नियमित अंशदाता बन सकते हैं।
7. सेवा में रहते सामान्य निधन पर एकमुश्त 50,000/- की एवं दुर्घटना में निधन होने पर 1,50,000/- रुपये की सहायता आश्रितों के आवेदन करने पर देय होगी।

बीमारी पर सहायता

विभागीय कर्मचारी/अधिकारियों के परिवार के किसी सदस्य को गंभीर प्रकृति की लम्बी बीमारी/असाध्य रोग जैसे केन्सर, लकवा, हृदयघात, क्षयरोग एवं दीर्घावधी तक चिकित्सालय में भर्ती रहकर इलाज करवाने पर 5000/- रुपये तक की सहायता राशि दी जावेगी। इसके लिये व्यय की गई राशि का विपत्र जिसका पुर्नभरण किसी राजकीय नियमों में नहीं हुआ हो तो चिकित्सक से प्रमाणित एवं रोग के साक्ष्य सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करने पर स्वीकृत किये जा सकेंगे। उक्त सहायता राशि नियमित अंशदाता होने पर ही दैय होगी।


8-11-17

उप निदेशक (प्रशासन) एवं
सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

हितकारी-निधि(राजस्थान शिक्षा विभाग, बीकानेर)से कर्मचारी के निधन पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र

- 1 प्रार्थी/प्रार्थिनी (कर्मचारी पर आश्रित/आश्रिता)का नाम एवं सम्बन्ध
- 2 स्थाई पता एवं मोबाईल नम्बर
- 3 मृतक कर्मचारी का नाम
- 4 मृतक कर्मचारी का पद एवं पदस्थापन स्थान
- 5 कर्मचारी की नियुक्ति तिथि से अब तक कहां-कहां
- 6 कर्मचारी की मृत्यु तिथि(मूल मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करें)
- 7 क्या मृतक कर्मचारी की मृत्यु राज्य सेवा में रहते हुए हुई?
- 8 दुर्घटना में निधन हो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न करें
- 9 मृत कर्मचारी की हितकारी निधि पंजीयन संख्या (वर्षवार अंशदान कटौती विवरण संलग्न करें)

10. कर्मचारी/अध्यापक का नियुक्ति तिथि से कहां-कहां कार्यरत रहा उसका अंशदान कटौती का विवरण निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें:-

क्र.सं.	नियुक्ति तिथि	पद	पदस्थापन स्थान नियुक्ति तिथि से आज तक कार्य किया है	प्रमोशन हुआ है तो विवरण दें	हि.नि.का वार्षिक अंशदान कटौती विवरण

11. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ब्रांच की शाखा का नाम जिस पर बैंक ड्राफ्ट चाहिए (यदि कोई हो तो).....

12. परिवार के सदस्यों का विवरण (निम्न प्रपत्र में प्रस्तुत करें)

क्र.सं.	नाम	आयु	मृतक से संबन्ध	विवाहित/अविवाहित	राज्य सेवा में है तो पदनाम	विशेष विवरण

13. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वात्म जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है। इन बिन्दुओं में कोई असत्यता हो तो हितकारी -निधि, शिक्षा-विभाग, बीकानेर मेरे विरुद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा यह मुझे स्वीकार्य होगी।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान(मोहर)

आश्रित(प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर)

(अराजपत्रित होने पर)

टिप्पणी: संस्था प्रधान के अराजपत्रित होने पर प्रार्थना पत्र-आहरण-वितरण अधिकारी से अग्रेषित करवाया जाना आवश्यक है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है एवं आश्रितों एवं कर्मचारियों के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण सहायता की आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र अध्यक्ष, हितकारी-निधि, शिक्षा-विभाग, बीकानेर को सहायता हेतु अनुशंसा सहित अग्रेषित किया जाता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी(मोहर)

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान(मोहर)

अग्रिम रसीद (जी.ए.103)

(पंजिका संख्या.....)

अध्यक्ष, हितकारी-निधि, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा स्वीकृत सहायता की राशि रुपये..... प्राप्त किए।

प्रमाणितकर्ता
राजपत्रित अधिकारी

(रिवेन्यू स्टाम्प)
हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

हितकारी निधि कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

हितकारी-निधि (राजस्थान शिक्षा विभाग, बीकानेर) से बीमारी पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना-पत्र

- 1 कर्मचारी का नाम
- 2 कर्मचारी का पद एवं पदस्थापन स्थान
- 3 कर्मचारी की नियुक्ति तिथि
- 4 रोगी का नाम आयु.....
- 5 रोगी का कर्मचारी से सम्बन्ध
- 6 रोगी का रोग ग्रस्त होने का स्थान
- 7 रोगी का विवरण एवं प्रमाण-पत्र संलग्न करें
- 8 चिकित्सालय का नाम जहां रोगी का इलाज कराया गया है/ चल रहा है।
- 9 रोगी के हस्पताल में भर्ती रहकर इलाज करवाने की अवधि
- 10 चिकित्सक से प्रमाणित विपत्र जिसका नियमों में पुर्नभरण नहीं हुआ हो
- 11 रोगी की परिचर्या पर कुल व्यय
- 12 उक्त व्यय में से कितना व्यय चिकित्सा परिचर्या नियमों के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति हुआ।
- 13 पूर्व में कोई सहायता ली गई अथवा नहीं, ली गई तो कितनी राशि मिली?
- 14 हितकारी-निधि पंजीयन संख्या (वर्षवार अंशदान कटौती विवरण संलग्न करें)
- 15 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा का नाम व पूरा पता जिस पर बैंक ड्राफ्ट चाहते हैं। (यदि कोई हो तो)
- 16 मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपर दिया गया विवरण बिल्कुल सही है। इन बिन्दुओं में कोई असत्यता हो तो हितकारी-निधि, शिक्षा-विभाग, बीकानेर मेरे विरुद्ध जो भी उचित समझे कार्यवाही कर सकेगा यह मुझे स्वीकार्य होगी।

हस्ताक्षर संस्था प्रधान(मोहर)

(प्रार्थी/प्रार्थिनी के हस्ताक्षर)

(अराजपत्रित होने पर)

टिप्पणी: संस्था प्रधान के अराजपत्रित होने पर प्रार्थना पत्र-आहरण-वितरण अधिकारी से अग्रेषित करवाया जाना आवश्यक है।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है एवं आश्रितों एवं कर्मचारियों के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण सहायता की आवश्यकता है। अतः प्रार्थना पत्र अध्यक्ष, हितकारी-निधि, शिक्षा-विभाग, बीकानेर को सहायता हेतु अनुशंसा सहित अग्रेषित किया जाता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर जिला शिक्षा अधिकारी(मोहर)

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष/संस्था प्रधान(मोहर)

अग्रिम रसीद (जी.ए.103)

(पंजिका संख्या.....)

अध्यक्ष, हितकारी-निधि, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा स्वीकृत सहायता की राशि रुपये..... प्राप्त किए।

प्रमाणितकर्ता
राजपत्रित अधिकारी

(रेवेन्यू स्टाम्प)
हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/हिनि/28203/2017-18

दिनांक : 13-11-17

समस्त उप-निदेशक(माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)
समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)
समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समस्त विशिष्ट संस्थायें

विषय : 2017-18 के लिए हितकारी निधि वार्षिक अंशदान बाबत।

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प.21(7)शिक्षा-2/हितकारीनिधि/2017 जयपुर दिनांक 13.10.2017 की अनुपालना में हितकारी निधि में वर्ष 2017-18 का वार्षिक अंशदान शिक्षा विभाग के समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के कार्मिकों का राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्धारित दर से एकत्रित कर भिजवाया जाना है। हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान समस्त आहरण वितरण अधिकारी अपने अधिनस्थ समस्त कार्यरत कार्मिकों से अनिवार्य रूप से प्रतिवर्ष प्राप्त करेंगे।

राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक अंशदान की दरें

- | | |
|--|-----------------------|
| (1) समस्त राजपत्रित अधिकारी (स्कूल व्याख्याता सहित) | रूपये 500/- प्रतिवर्ष |
| (2) समस्त अराजपत्रित कार्मिक/अध्यापक एवं सहा.कर्मचारी सहित | रूपये 250/- प्रतिवर्ष |

हितकारी निधि कल्याणकारी योजनाएं

इस कल्याणकारी योजनान्तर्गत प्राप्त अंशदान राशि में से सेवा में रहते कार्मिक के निधन पर उसके आश्रितों द्वारा आवेदन करने पर सामान्य निधन पर 50,000/- रूपये एवं दुर्घना में निधन होने पर 1,50,000/- रूपये सहायता राशि प्रदान की जावेगी।

शिक्षा विभाग के कार्मिकों के 100 बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा में अध्ययनरत होने पर 5000/- रूपये से 10,000/- रूपये तक की सहायता दैय है।

शिक्षा विभागीय कार्मिक एवं उसके आश्रितों में से किसी सदस्य के असाध्य रोग से पीडित होने पर 5000/- रूपये की सहायता दिये जाने का प्रावधान है।

शिक्षा विभागीय कार्मिकों को बालिका शिक्षा हेतु 20,000/- रूपये तक का ऋण दिये जाने का प्रावधान है।

राज्य सरकार के आदेशों की पालना में संस्था प्रधान आवश्यक रूप से समय पर अंशदान राशि एकत्रित कर भिजवावे ताकि प्राप्त अंशदान से अधिकाधिक लाभ दिया जा सके एवं नवीन योजनायें भी प्रारंभ की जा सकें।

अतः वर्ष 2017-18 का हितकारी निधि का वार्षिक अंशदान माह दिसम्बर, 2017 के दैय वेतन जनवरी, 2018 में उक्त निर्धारित दर से प्राप्त कर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

हितकारी निधि योजना की सफलता के लिये आपके अधिनस्थ कार्यालयों/ विद्यालयों में इसका प्रचार-प्रसार किया जावे ताकि योजना के सफल परिणाम प्राप्त हो सकें। वर्ष 2017-18 की अंशदान राशि "अध्यक्ष हितकारी निधि" माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम बैंक ड्राफ्ट/चैक के द्वारा भिजवाया जाना है। अंशदान के साथ अंशदान दाताओं की सूची मय पद तथा उसके सम्मुख कार्मिक की आई.डी. का उल्लेख अवश्य किया जावे ताकि समुचित लेखा रखा जा सके। उक्त आई.डी. ही कार्मिकों की खाता संख्या होगी।


(नथमल डिंडेल)

IAS


निदेशक एवं अध्यक्ष
हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक : 13-11-17

क्रमांक : शिविरा/माध्य/हिनि/28203/2017-18

प्रतिलिपि निम्न को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त अनुभाग अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/प्रारंभिक शिक्षा, कार्यालय हाजा
2. सम्पादक शिविरा पत्रिका, बीकानेर को प्रकाशनार्थ


13.11.17
उप निदेशक (प्रशासन) एवं
सचिव हितकारी निधि
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर